न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 62/2019 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2019/00147

1. सुरेश पिता गोपीचन्द जाति कुमावत आयु 40 वर्ष पेशा खेती निवासी मड्डा गुलफरोशान तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.....प्रार्थी

बनाम

1. गोपीचन्द पिता सुखा जी जाति कुमावत निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

2. राजू पिता गोपीचन्द जाति कुमावत निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

3. ललती पिता गोपीचन्द जाति कुमावत निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० (नाम विलोपित)

4. काली पिता गोपीचन्द जाति कुमावत निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री मदनलाल चपलोत – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3– श्री घनश्याम शर्मा – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2,4

:: निर्णय ::

दिनांक :– 24.12.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वाके ग्राम कलंदरगढ तह० निम्बाहेडा में प्रार्थी कि पुश्तेनी आराजियात स्थिति है जो खाता स0 13 के आराजी न0 10 रकबा 1. 1200 हे० लगानी 13.4400 रूपये व आराजी न0 11 रकबा 1.3900 हे0 लगानी 16.6800 रूपये कुल किता 2 कुल रकबा 2.5100 कुल स्थित है जिसपे प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से पर काबीज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं।

उपरोक्त आराजियात वर्तमान में प्रार्थी के पिता विपक्षी कमांक 1 गोपीचन्द पिता सुखा [illegible] कुमावत के नाम दर्ज है जो उनको अपने पिता सुखा जी कुमावत से पीडी दर पीडी प्राप्त हुई है परन्तु वर्तमान [illegible] जी कि मृत्यु उपरांत सम्पूर्ण भूमि विपक्षी कमांक 1 के नाम पर [illegible] कमांक 1 विपक्षी कमांक 2 से 4 के सीखावें में आकर प्रार्थी [illegible] कि भूमि जिसमें [illegible] का जन्म से ही 1/3 हिस्सा निहीत है से मरहूम करने कि नियत से सम्पूर्ण आ[illegible]त को खुर्द बुर्द कर हस्तांतरित करने पर आमादा है। जबकी उपरोक्त भूमि प्रार्थी कि पुश्तेनी

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested

भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा जन्म से ही निहीत है जिस पर प्रार्थी काबीज होकर काश्त भी करता चला आ रहा है।

3. विवादित भूमि पर प्रार्थी अपने 1/3 हक हिस्से पर काबीज होकर शांतीपूर्ण तरीके से काश्त कर रहा है परन्तु विपक्षी कामांक 1 विपक्षी कमांक 2 से 4 जो उसके पुत्र व पुत्रीया होकर प्रार्थी के भाई व बहनें है प्रार्थी कि बहनों कि शादी हो चुकि है विपक्षी कमांक 3 ललीता विपक्षी 4 काली जिनका उक्त विवादित भूमि में कोईहक अधिकार नही है तथा वर्तमान में शादी होने के बाद अपने–अपने ससुराल में निवासरत होकर वहा कि सम्पति पर काबीज है फिर भी जानबुज कर प्रार्थी को उसके हक हिस्से कि भूमि से बेदखल करने कि गरज से प्रार्थी का हिस्सा हडपने कि नियत से विपक्षी कमांक 2 के साथ मिलकर विपक्षी कमांक 1 को बहला फुसला कर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त वाली भूमि से जबरन बेदखल करने पर भी आमादा है जब प्रार्थी ने अपने पिता से विपक्षी कमांक 2, 3, 4 कि मोजुदगी में विवादित भूमि जिसमें प्रार्थी का जन्म सिद्ध अधिकार होने से 1/3 हिस्सा स्वय के नाम पर करने हेतु कहा तो विपक्षीगण ने इससे स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया एवं विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने कि एलानीया धमकीया दी तथा प्रार्थी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल करने कि धमकीया दी यदि विपक्षीगण अपने इरादों कामयाब हो गये तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करना ही बेकार हो जायेगा एवं प्रार्थी को ऐसी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति सम्भव नही है।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 श्री मदनलाल चपलोत एवं विपक्षी संख्या 2,4 की ओर घनश्याम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

- उक्त आराजियात विपक्षी सं. 1 की पुश्तैनी आराजियात है प्रार्थी गोपीचंद की प्रथ्ज्ञम पत्नि की सन्तान होने के कारण इसके बालिग होने पर विपक्षी सं. 1 ने दिनांक 17/09/2009 को जरिये इन्तकाल सं. 161 ख.नं. 9 के 2.6100 हेक्टेयर जमीन इसको इसके हिस्से की आराजियात नामान्तरित करवा कर कब्जे में दे दी। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं है, न ही किसी भू भाग पर प्रार्थी का आधिपत्य है ।
- विपक्षी सं. 1 को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात उसके नाम पर नामान्तरित हुई है तथा विपक्षी सं. 1 अपने अन्य विपक्षीगण पुत्रों के साथ वर्णित आराजियात में आधिपत्य होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है परन्तु प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी का विवादग्रस्त आराजीत में 1/3 हक हिस्सा निहित है तथा वह उस पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है पूर्णतः मिथ्या एंव कपोल कल्पित होकर असत्य है अतः अस्वीकार है।
- प्रार्थी की बहनों की शादी होने का तथ्य स्वीकार है परन्तु यह कथन किविपक्षी सं. 2,3,4 का विवादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं है उक्त कथन विधि के प्रावधानों के विपरीत है। प्रार्थी को विपक्षी सं. 1 के द्वारा दिनांक 17/09/2009 को उसके हक हिस्से की नामा[illegible] की जा चुकी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित [illegible] में कोई हक हिस्सा नहीं है, न ही प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति [illegible] विपक्षीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय से किसी भी तरह [illegible] करने का वैधिक अधिकार है।
- प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण है, न [illegible] सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्णिय क्षति होना अंकित किया जो अस्वीकार है क्यों कि विपक्षी सं. 1 स्वयं खातेदार है और खातेदार के विरुद्ध प्रार्थी को विधि के प्रावधानों के विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का कोई वैधिक अधिकार नहीं है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

6. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 17/09/2009 को उसके हक हिस्से की नामान्तरित करवा कर भूमि सुपुर्द की जा चुकी है अतः प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं है, विपक्षी संख्या 1 स्वयं खातेदार है और खातेदार के विरुद्ध प्रार्थी को विधि के प्रावधानों के विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का कोई वैधिक अधिकार नहीं है।

2. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होना व खातेदारी में दर्ज होना तथा साबित कराना प्रथम दृष्टया आवश्यक है परन्तु प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा होने का तथ्य साबित कराने में असमर्थ रहे है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से उक्त आराजियात प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 17/09/2009 को उसके हक हिस्से की नामान्तरित करवा कर भूमि सुपुर्द की जा चुकी है अतः प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं है, विपक्षी संख्या 1 स्वयं खातेदार है और खातेदार के विरुद्ध प्रार्थी को विधि के प्रावधानों के विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का कोई वैधिक अधिकार नहीं है। इसलिए रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपूरणीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

3. सुविधा का संतुलन :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रार्थी द्वारा अपना कब्जा साबित कराने मे असफल रहे हैं, विपक्षीगण का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा हैं इसलिए प्रार्थी अपना प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित कराने मे पूरी तरह से असफल रहे है तरीके पर विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे किसी प्रकार से साबित नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीके पक्ष मे नही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष वर्ग बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के

अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज होकर चली आ रही है । प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीके पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। इसलिए प्रकरण में पूर्व में दिनांक 03.05.2019 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

—:आदेश:—

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested